

अध्याय 13: प्रमुख संवैधानिक एवं सांविधिक निकाय — संघ व राज्य लोक सेवा आयोग, मानवाधिकार, महिला/बाल आयोग एवं नीति आयोग — शॉर्ट नोट्स

1. संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग: संवैधानिक उपबंध (अनुच्छेद 315-323)

अनुच्छेद	संवैधानिक विषय	प्रमुख विधिक व प्रशासनिक प्रावधान
अनु. 315	आयोगों का गठन	संघ हेतु केंद्रीय लोक सेवा आयोग तथा राज्यों हेतु राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC); 2 या अधिक राज्यों हेतु संसद द्वारा संयुक्त आयोग (JSPSC)
अनु. 316	नियुक्ति व कार्यकाल	संघीय आयोग/संयुक्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा; राज्य लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा; कम से कम आधे सदस्य 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हों
अनु. 317	पदमुक्ति व निलंबन	केवल कदाचार (Misbehaviour) के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जांच व अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा निष्कासन; दिवालिया होने या सवेतन रोजगार पर भी हटाया जा सकता है
अनु. 319	पुनर्नियुक्ति पर रोक	संघीय आयोग अध्यक्ष भारत या राज्य सरकार में किसी अन्य पद हेतु अपात्र; सदस्य केवल संघीय आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष बन सकते हैं (हितों के टकराव पर रोक)
अनु. 320	आयोगों के कर्तव्य	सिविल सेवाओं हेतु भर्ती परीक्षाएं संचालित करना; नियुक्ति, पदोन्नति, तबादला एवं अनुशासनात्मक मामलों पर सरकार को सलाह देना
अनु. 322	आयोग का व्यय	संघीय आयोग का समस्त व्यय भारत की संचित निधि पर भारित (Charged) होता है (संसद में मतदान नहीं); राज्य लोक सेवा आयोग व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित
अनु. 323	वार्षिक प्रतिवेदन	संघीय आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को तथा राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल को सौंपता है, जिसे संसद/विधानमंडल के पटल पर रखा जाता है

तुलनात्मक आयाम	संघ लोक सेवा आयोग	राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC)
संवैधानिक स्थिति	संविधान का भाग (XIV), अनुच्छेद 315-323	संविधान का भाग (XIV), अनुच्छेद 315-323
नियुक्ति प्राधिकारी	राष्ट्रपति द्वारा	राज्यपाल द्वारा
कार्यकाल एवं आयु	6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो)	6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो)
पदमुक्ति प्राधिकारी	राष्ट्रपति (सर्वोच्च न्यायालय की जांच पर)	केवल राष्ट्रपति (राज्यपाल को हटाने का अधिकार नहीं)
सलाह की प्रकृति	परामर्शकारी (बाध्यकारी नहीं; अनुच्छेद 320)	परामर्शकारी (बाध्यकारी नहीं; अनुच्छेद 320)

2. लोक सेवा आयोगों के कार्य, शक्तियां एवं विधिक सीमाएं

पहलू / विषय	विधिक अधिकार क्षेत्र एवं व्यावहारिक सीमाएं
भर्ती व परीक्षा	अखिल भारतीय सेवाओं (AIS), केंद्रीय सेवाओं तथा रक्षा सेवाओं हेतु निष्पक्ष भर्ती परीक्षाओं का आयोजन
पदोन्नति व प्रतिनियुक्ति	विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की अध्यक्षता करना एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण पर परामर्श देना
अनुशासनात्मक मामले	सिविल सेवकों के विरुद्ध विभागीय जांच, दंड, पेंशन कटौती आदि विधिक मामलों पर सरकार को सलाह
संवैधानिक सीमाएं	आरक्षण (Reservation) नीतियों, पदों के वर्गीकरण एवं वेतनमान पर आयोग का कोई अधिकार नहीं; सरकार अनु. 320(3) के तहत कतिपय पदों को आयोग के परामर्श दायरे से बाहर रख सकती है

3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एवं राज्य आयोग (SHRC)

पहलू / प्रावधान	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)	राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC)
कानूनी आधार व स्थापना	मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 (संशोधित 2019); सांविधिक निकाय	मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21; सांविधिक निकाय
आयोग की संरचना	1 अध्यक्ष (सेवानिवृत्त CJI या SC न्यायाधीश) + 5 सदस्य + 7 पदेन सदस्य	1 अध्यक्ष (सेवानिवृत्त HC मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश) + 2 सदस्य
चयन समिति	6-सदस्यीय: प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा उपसभापति	4-सदस्यीय: मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष
नियुक्ति व कार्यकाल	राष्ट्रपति द्वारा; 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु (2019 संशोधन से)	राज्यपाल द्वारा; 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु (2019 संशोधन से)
हटाने की शक्ति	राष्ट्रपति द्वारा (कदाचार पर SC जांच उपरांत)	केवल राष्ट्रपति द्वारा (राज्यपाल केवल निर्लंबित कर सकते हैं)
अधिकार क्षेत्र	संपूर्ण भारत में मानवाधिकार उल्लंघन की जांच	राज्य सूची (State List) व समवर्ती सूची (Concurrent List) के विषय

4. मानवाधिकार आयोगों की कार्यप्रणाली, शक्तियां एवं संस्थागत सीमाएं

आयाम / शक्ति	विधिक कार्यप्रणाली एवं प्रक्रियात्मक सीमाएं
दीवानी न्यायालय शक्तियां	जांच के दौरान सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC 1908) के तहत गवाहों को समन भेजने, साक्ष्य मांगने व हलफनामे लेने का अधिकार
स्वप्रेरणा से संज्ञान	मानवाधिकार हनन पर पीड़ित की शिकायत पर या स्वयं संज्ञान (Suo Motu) लेकर जांच प्रारंभ करने की शक्ति

आयाम / शक्ति	विधिक कार्यप्रणाली एवं प्रक्रियात्मक सीमाएं
जेल व हिरासत निरीक्षण	जेलों, बंदीगृहों व संरक्षण गृहों का दौरा कर कैदियों के जीवन स्तर व मानवाधिकारों की समीक्षा करना
परामर्शकारी प्रकृति	आयोग की सिफारिशें केवल सलाहकारी हैं (दंतहीन बाघ — Toothless Tiger); आयोग न तो दंड दे सकता है और न ही मुआवजा लागू कर सकता है
समय-सीमा व सशस्त्र बल	घटना के 1 वर्ष बाद शिकायत स्वीकार नहीं की जा सकती; सशस्त्र बलों के उल्लंघन मामलों में केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है

संवैधानिक बनाम सांविधिक बनाम कार्यकारी निकाय: 1. संवैधानिक निकाय (Constitutional Body): जिसका प्रत्यक्ष उल्लेख संविधान के मूल पाठ में हो (उदा. संघ लोक सेवा आयोग अनु. 315, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अनु. 148, निर्वाचन आयोग अनु. 324); संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 आवश्यक। 2. सांविधिक निकाय (Statutory Body): जो संसद या राज्य विधानमंडल के साधारण कानून (Act) से बने (उदा. NHRC, NCW, NCPCR, CVC, CIC); सामान्य कानून से संशोधन संभव। 3. कार्यकारी निकाय (Executive Body): मंत्रिमंडल के कार्यकारी प्रस्ताव से गठित गैर-संवैधानिक व गैर-सांविधिक निकाय (उदा. नीति आयोग)।

5. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) एवं राष्ट्रीय बाल आयोग (NCPCR)

पहलू / प्रावधान	राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)
स्थापना व विधिक आधार	राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 (स्थापना 31 जनवरी 1992); सांविधिक निकाय	बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 (स्थापना मार्च 2007); सांविधिक निकाय
आयोग की संरचना	1 अध्यक्ष + 5 सदस्य (कम से कम 1 SC व 1 ST अनिवार्य) + 1 सदस्य-सचिव	1 अध्यक्ष + 6 सदस्य (कम से कम 2 महिलाएं अनिवार्य); विशेषज्ञता आधारित
नियुक्ति व कार्यकाल	केंद्र सरकार द्वारा मनोनयन; कार्यकाल 3 वर्ष	केंद्र सरकार की चयन समिति की सिफारिश पर; कार्यकाल 3 वर्ष (अधिकतम 2 कार्यकाल)
आयु सीमा	संविधान/अधिनियम में कोई निश्चित सेवानिवृत्ति आयु सीमा नहीं (कार्यकाल 3 वर्ष)	अध्यक्ष हेतु अधिकतम 65 वर्ष, सदस्यों हेतु 60 वर्ष
प्रमुख कार्य व जनादेश	महिलाओं के संवैधानिक व कानूनी अधिकारों की रक्षा; घरेलू हिंसा, कार्यस्थल उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न मामलों की जांच व स्वप्रेरणा संज्ञान	0-18 वर्ष के सभी बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा; बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी पर रोक; शिक्षा का अधिकार (RTE 2009) की निगरानी
विशेष निगरानी दायित्व	महिला बंदीगृहों व नारी निकेतनों का निरीक्षण; महिला सुरक्षा कानूनों में संशोधन की सिफारिश	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO 2012) के क्रियान्वयन की राष्ट्रीय निगरानी

6. अन्य प्रमुख संवैधानिक एवं सांविधिक आयोग (SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक आयोग)

आयोग का नाम	संवैधानिक/विधिक आधार	संशोधन / स्थापना	संरचना व प्रमुख दायित्व
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)	अनुच्छेद 338	मूल संविधान में एकल आयुक्त; 65वें संशोधन 1990 से आयोग; 89वें संशोधन 2003 से पृथक	1 अध्यक्ष + 1 उपाध्यक्ष + 3 सदस्य (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, कार्यकाल 3 वर्ष); अनुसूचित जाति अधिकारों की सुरक्षा
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)	अनुच्छेद 338A	89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा (NCSC) से अलग कर स्वतंत्र संवैधानिक निकाय बना	1 अध्यक्ष + 1 उपाध्यक्ष + 3 सदस्य (1 महिला अनिवार्य); जनजाति अधिकारों व वन अधिकार कानून (FRA) की समीक्षा
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)	अनुच्छेद 338B	102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा सांविधिक से पूर्ण संवैधानिक दर्जा मिला	1 अध्यक्ष + 1 उपाध्यक्ष + 3 सदस्य; सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) के कल्याण की निगरानी
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM)	अल्पसंख्यक आयोग अधि. 1992	सांविधिक निकाय (1992); 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन	1 अध्यक्ष + 1 उपाध्यक्ष + 5 सदस्य (सभी अल्पसंख्यक समुदायों से, केंद्र द्वारा नामित, कार्यकाल 3 वर्ष); अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा

7. नीति आयोग (NITI Aayog): संरचना, कार्यप्रणाली एवं मार्गदर्शक सिद्धांत

पहलू / घटक	संगठनात्मक व्यवस्था एवं संस्थागत विवरण
स्थापना एवं स्वरूप	1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा स्थापित; गैर-संवैधानिक व गैर-सांविधिक बौद्धिक संस्थान (Think Tank)
अध्यक्ष (Chairperson)	भारत के प्रधानमंत्री (पदेन अध्यक्ष)
शासी परिषद (Governing Council)	प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एवं केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल/प्रशासक (सहकारी संघवाद का प्रतीक)
विशेष आमंत्रित व पदेन सदस्य	प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (गृह, वित्त, रक्षा, कृषि आदि)
उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी (CEO)	प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त (उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को भारत सरकार के सचिव स्तर का दर्जा)
प्रमुख कार्य व सूचकांक	राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं की साझा दृष्टि तैयार करना; आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP); सतत विकास लक्ष्य सूचकांक (SDG India Index) जारी करना

8. योजना आयोग बनाम नीति आयोग: आधारभूत अंतर

तुलना का आधार	योजना आयोग (1950-2014)	नीति आयोग (2015 से वर्तमान)
दृष्टिकोण (Approach)	शीर्ष-नीचे (Top-Down दृष्टिकोण); 'एक आकार सबके लिए' (One Size Fits All)	नीचे-ऊपर (Bottom-Up दृष्टिकोण); स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां
राज्यों की भूमिका	राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) तक सीमित; राज्यों की सीधी भागीदारी कम	शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री समान भागीदार; सहकारी संघवाद
वित्तीय शक्तियां	राज्यों व मंत्रालयों को पंचवर्षीय योजनाओं के तहत वित्तीय आवंटन की शक्ति	वित्तीय आवंटन की कोई शक्ति नहीं (वित्तीय आवंटन केवल वित्त मंत्रालय व वित्त आयोग के पास)
कार्यप्रणाली	योजनाओं का कठोर केंद्रीय प्रारूप व 5-वर्षीय योजनाएं तैयार करना	रणनीतिक नीति थिंक-टैंक; 15-वर्षीय विजन, 7-वर्षीय रणनीति व 3-वर्षीय एक्शन एजेंडा

9. भारत के प्रमुख संवैधानिक व सांविधिक निकायों का महा-तुलनात्मक चार्ट

निकाय का नाम	प्रकार	संबंधित प्रावधान	नियुक्ति प्राधिकारी	कार्यकाल / आयु
संघ लोक सेवा आयोग	संवैधानिक	अनुच्छेद 315-323	राष्ट्रपति	6 वर्ष / 65 वर्ष
राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC)	संवैधानिक	अनुच्छेद 315-323	राज्यपाल	6 वर्ष / 62 वर्ष
मानवाधिकार आयोग (NHRC)	सांविधिक	मानवाधिकार अधि. 1993	राष्ट्रपति (समिति सलाह)	3 वर्ष / 70 वर्ष
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)	सांविधिक	महिला आयोग अधि. 1990	केंद्र सरकार	3 वर्ष
राष्ट्रीय बाल आयोग (NCPCR)	सांविधिक	बाल आयोग अधि. 2005	केंद्र सरकार	3 वर्ष (65/60 वर्ष)
नीति आयोग (NITI Aayog)	कार्यकारी	कैबिनेट प्रस्ताव 2015	प्रधानमंत्री	सरकार की इच्छानुसार

निकायों की स्वतंत्रता का सार: संस्थागत स्वायत्तता बनाए रखने हेतु संचित निधि पर भारत व्यय, कार्यकाल की निश्चितता एवं कदाचार की स्थिति में न्यायिक जांच के संवैधानिक सुरक्षा उपाय अत्यंत अपरिहार्य हैं, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाएं बिना राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष कार्य कर सकें।